न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 107/2022

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थीनी – 1. इन्द्रादेवी पत्नि बुधाराम, जाति भील
निवासी आंटिया, तहसील चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.जोगाराम 2.जुंजाराम 3.रतनाराम 4.देवाराम पि.डूंगरराराम
5.डूंगरराराम 6.सगताराम 7.भगवानाराम पि. आम्बाराम
जातियान रावणा राजपूत, निवासी जाटों की बस्ती (आंटिया)
8.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थीनी – **श्री हुकमसिंह गोदारा**
विप्रार्थीगण वकील – **एकतरफा**

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 23.11.2022

प्रार्थीनी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीनी के खातेदारी का खेत मौजा जाटों की बस्ती (आंटिया), तहसील चौहटन में खसरा सं. 206/126 रकबा 11.4607 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीनी के सेढ़ासेढ विप्रार्थी सं. 1 से 8 के खातेदारी का खेत मौजा जाटों की बस्ती (आंटिया) में खसरा सं. 207/126 रकबा 04.6215 हैक्टेयर तथा खसरा सं. 208/126 रकबा 06.8392 हैक्टेयर का आया हुआ है।

प्रार्थीनी ने मूल खसरा सं. 126 रकबा 212.08 बीघा में से 1/3 हिस्सा का रकबा 70.16 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान के प्राप्त कर तरमीम की गई। वर्तमान अनुसार प्रार्थीनी का खसरा सं. 206/126 रकबा 70.16 बीघा, विप्रार्थी सं. 1 से 8 के पिता की 1/3 हिस्सा का खसरा सं. 207/126 रकबा 70.16 बीघा में से विक्रय के पश्चात खसरा सं. 208/126 रकबा 42.05 बीघा व खसरा सं. 207/126 रकबा 28.11 बीघा । उक्त खसरा नम्बर की भूमि की लट्ठा ट्रेस में तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिवश खसरा सं. 206/126 रकबा 70.16 बीघा की जगह लगभग रकबा 05.00 बीघा का कम अंकन कर दिया, जबकि मौके पर पैमाईश

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:46:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

करवाकर 70.16 बीघा भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह कर बाड़ कर दी गई । उसी अनुसार न्यायालय में नेखमबन्दी से कब्जा अनुसार 70.16 बीघा के चारों ओर बिन्दु स्थापित किए गए। जबकि लट्ठा ट्रेस में रकबा 70.16 की जगह अशुद्ध 65.00 बीघा का अंकन किया गया । जिसे प्रार्थीनी दुरस्त करवाने की अधिकारी है। इसलिए प्रार्थीनी ने आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही है।

प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिनके नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। वकील प्रार्थीनी की ओर से तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया गया । जिसे स्वीकार तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीनी की ओर से ब्रिफ होल्डर अधिवक्ता उपस्थित हुई। तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गयाा। वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार चौहटन से जो तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, उन्हें स्वीकार है उसी अनुसार आवेदन का निस्तारण किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अधिनियम का स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा जाटों की बस्ती (आंटिया) के खसरा सं. 206/126, 207/126, 208/126 की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा अनुसार दुरस्त की जाती है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:46:41 IST
Reason: SelfAttested

(SDO) चौहटन उपखण्ड अधिकारी

(भागीरथराम ।।)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

नक्शा नजरी

ग्राम - जाटों की बाड़ी

राजस्व अपील नं. 107/2022 प.गां. आंटीया

ऊदाराम वगैरह v/s जोगाराम वगैरह के

मौका जरिये नक्शा।

पेटे 9" रकबा

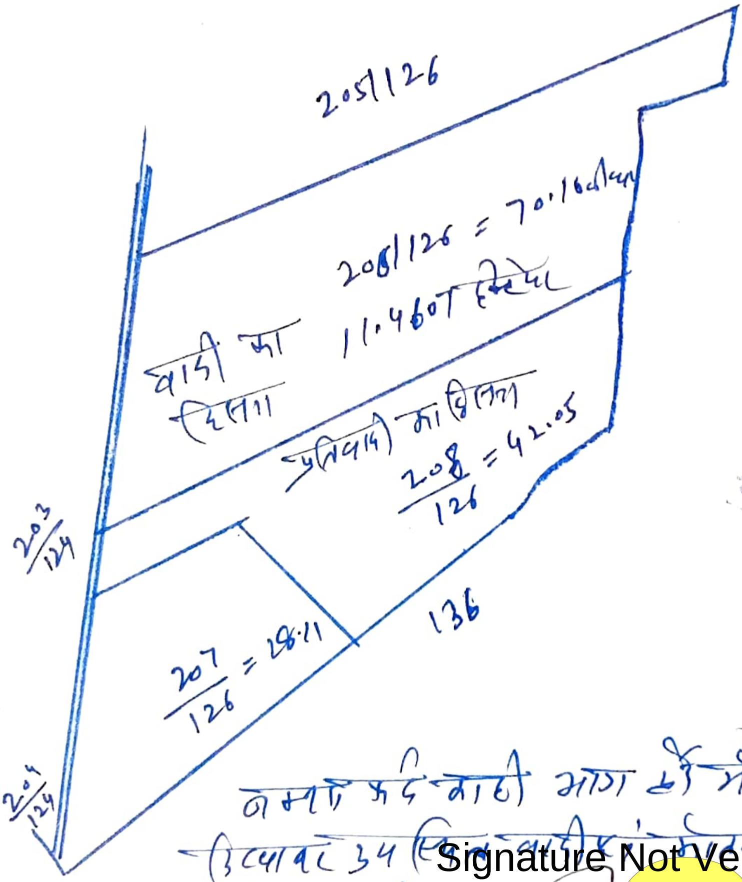

Ex-count

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

जमाबंदी ... भाग ... मौके पर नक्शा

... 34 ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:46:41 IST
Reason: SelfAttested

खेराजराम आत्माराम

निशानी अंगूठा इन्द्रादेवी

गुलाराम (किसनाराम) (आत्माराम)

(कुम्भाराम)

पटेल पटेल

तहसीलदार चौहटन